:6

संख्याः /XVIII(II)/2013–1(18)/2012

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 26 जुलाई, 2013

विषयः–आदिनाथ वेलफेयर सोसायटी, देहरादून द्वारा प्रस्तावित सीड्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम शाहपुर कल्याणपुर, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून में कुल 10.00 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 631/12ए–30 (2011–14) दि0–21.11.2012 एवं संस्था के पुनः आवेदन/शपथ पत्र दि0–10.4.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, आदिनाथ वेलफेयर सोसायटी, देहरादून द्वारा प्रस्तावित सीड्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम शाहपुर कल्याणपुर, तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून में आपके उक्त पत्र दि0–21.11.2012 द्वारा संस्तुत विभिन्न खसरा संख्याओं के अंतर्गत 8.08 है0 एवं संस्था के उक्त आवेदन दि0–10.4.2013 के संदर्भ में 1.92 है0 इस प्रकार कुल 10.00 है0 भूमि क्रय की अनुमति, जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(2) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4) (3)(क)(III) के अन्तर्गत तथा उच्च शिक्षा विभाग व आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अभिमत/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– संस्था के आवेदन पत्र दि0–10.4.2013 द्वारा आवास विभाग के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 के अनुसार विश्वविद्यालय निर्माण हेतु आवश्यक कुल 10.00 है0 भूमि के सापेक्ष जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र दि0–21.11.2012 द्वारा 8.08 है0 भूमि से संबंधित प्रेषित आख्या के क्रम में अवशेष 1.92 है0 भूमि क्रय की भी अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है। अतः उक्त 1.92 है0 भूमि क्रय की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि भूमि क्रय के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आवेदित भूमि को संस्था द्वारा क्रय किये जाने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है एवं उक्त भूमि संक्रमणीय भूमिधर की है तथा समस्त भारों एवं वर्जनाओं से मुक्त है।

2– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (सीड्स विश्वविद्यालय की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि

.....2

का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भूमि के प्रस्तावित अंतरण से किसी राजस्व नियमों का उल्लंघन न हो तथा भूमि बंधक/भार मुक्त एवं विवाद रहित हो।

7– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

8– प्रस्तावित भूमि का उपयोग संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। उक्त भूमि का उपयोग यदि इतर कार्यों के लिए किया जाता है तो उक्त अनुमति स्वतः समाप्त मान ली जायेगी तथा उक्त भूमि को तत्काल राज्य हित में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

9– सहारनपुर चकराता मार्ग के 45 मीटर चौड़े मार्गाधिकार के उपरान्त स्थित कृषि भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन भूमि क्रय करने के उपरान्त सामुदायिक सुविधाओं (विश्वविद्यालय) में परिवर्तित कराया जायेगा।

10– स्थल के आसन नदी से लगे होने के दृष्टिगत नदी की ओर न्यूनतम 10 मीटर वृक्षारोपित हरित क्षेत्र छोड़े जाने के साथ–साथ नदी तटबन्ध व बाढ़ सुरक्षा का समुचित प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा।

11– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रावधानों अनुसार दूनघाट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराया जायेगा। मानचित्र स्वीकृति में किसी प्रकार की शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी।

12– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

12– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

15– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

.....3

16- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी यथा समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0-283/XVIII(II)/2013–1(18)/2012/समदिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. श्री श्याम सुन्दर गोयल अध्यक्ष, आदिनाथ वेलफेयर सोसायटी, पंचम तल, 14 गॉधी रोड, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।